नागरिकता-शिक्षा के माध्यम से वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान

नेहा यादव और अस्मिता तिवारी

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 जैसे मार्गदर्शक दस्तावेज़ों में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता और संविधान में दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों व सिद्धान्तों के बारे में जागरूकता को लगातार चिह्नांकित किया गया है। भारतीय सन्दर्भ में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि स्कूली शिक्षा में नागरिकता के ऐसे विकास की ज़िम्मेदारी निहित होनी चाहिए, जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और हमारे संविधान में निहित सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हो।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2005 के बाद पाठ्यक्रमों में कई सुधार किए गए हैं। हालाँकि, इस प्रयास के बावजूद, विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ काम करने का हमारा जो अनुभव है, उसके अनुसार नागरिकशास्त्र/सामाजिक और राजनीतिक जीवन (एसपीएल) पर प्राप्त प्रतिक्रिया यह बताती है कि यह आमतौर पर सैद्धान्तिक, 'अप्रासंगिक' या 'अव्यावहारिक' ही है। हमारे जैसे देश के लिए, यह एक संकट का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ़ हमारे सामने हर साल स्कूलों से बाहर आने वाले ऐसे बहुत-से निरुत्साही विद्यार्थी हैं जिनके पास वे ज़रूरी जानकारियाँ और व्यावहारिक कौशल नहीं होते, जो सक्रिय और प्रवृत्त नागरिक होने के लिए आवश्यक हैं। वहीं दूसरी तरफ़, हमारे गाँवों और शहरों में ख़राब शासन व्यवस्था से जुड़ी वे समस्याएँ जिन्हें राज्य प्रशासन के साथ प्रभावी नागरिक-जुड़ाव के माध्यम से हल किया जा सकता है, मौजूद रहेंगी।

वी, द पीपल अभियान, नागरिक समाज का एक संगठन है जिसका मिशन भारत में एक सुविज्ञ, सक्रिय और ज़िम्मेदार नागरिकता का विस्तार करना है। ऊपर बताई गई कमी को दूर करने के लिए इस संगठन ने बहुत ध्यानपूर्वक नागरिकता शिक्षा कार्यक्रम (*सिटिज़न एजुकेशन प्रोग्राम* - सीईपी) नामक पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण नागरिक शिक्षा, ज़िम्मेदार नागरिकता को विकसित करने की बुनियाद है और आम धारणा यही है कि इसे प्राथमिक विद्यालय के दौरान ही भली-भाँति किया जा सकता है। सीईपी, नागरिक के दृष्टिकोण से एसपीएल को एक विषय के रूप में समझने का प्रयास करता है। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि – लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में, मेरे जीवन में एसपीएल शिक्षा मेरे लिए कैसे प्रासंगिक है? इस तरह, विद्यार्थी *सिविक एक्शन प्रोजेक्ट्स* (सीएपी) और अभियानों के माध्यम से कक्षा और व्यावहारिक उपयोग में नवीन पद्धतियों के बारे में जान पाते हैं। उनके सीखने की यात्रा को अभिवृत्तियों, ज्ञान और कौशलों की रूपरेखा के माध्यम से मज़बूत किया जाता है।

हमारी कार्यप्रणाली

हमारी विषय-सामग्री इन तीन मूलभूत प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर विकसित की जाती है :

- नागरिकों की अभिवृत्तियों/दृष्टिकोणों में किन बदलावों की आवश्यकता है?
- नागरिक समाज शिक्षा के लिए कौन-सी जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है?
- ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कौन-से कौशलों और उपकरणों की आवश्यकता है?

यह सामग्री इस रूपरेखा के आधार पर बनाई गई है :

संविधान के विभिन्न पहलुओं को इस बात से समझा जाता

अभिवृत्तियाँ	ज्ञान	कौशल
अवधारणा का 'क्यों', जैसे कि हमें आज़ादी क्यों चाहिए, समानता क्यों महत्त्वपूर्ण है आदि।	अवधारणा का 'क्या', जैसे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, क़ानून क्या है, राज्य की संरचना क्या है आदि।	कार्रवाई 'कैसे' की जाए, जैसे कि किसी भी कार्रवाई को करने के लिए आवश्यक कौशल/उपकरण।

है कि वे *क्या* हैं और एक नागरिक उनसे *कैसे* जुड़ सकता है। इसमें नागरिक कार्रवाई के लिए उपकरणों के व्यावहारिक प्रयोग भी जुड़ जाते हैं। हम स्कूल पाठ्यक्रम के भीतर सीईपी को एकीकृत करने और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के साथ ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर (टीओटी) यानी प्रशिक्षक का प्रशिक्षण मॉडल का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का मानचित्रण एक आवश्यक क़दम है। ऐसा करने से हम सीईपी और एसपीएल पाठ्यक्रम के बीच एक मज़बूत सम्बन्ध बनाने में सक्षम हो पाते हैं।

'इन गतिविधियों ने विद्यार्थियों में नागरिकशास्त्र में रुचि पैदा करने में मदद की और उन्हें इस विषय का महत्त्व और व्यावहारिक प्रासंगिकता समझने में मदद मिली।'

- मेंटर टीचर, शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली

'मुझे यह तो नहीं पता कि इन सभी विवरणों और तरीक़ों का अन्ततः कक्षा में कैसे उपयोग हो पाएगा। लेकिन हम सभी शिक्षकों के लिए मैं यह कह सकता हूँ, अब हम वह शिक्षक नहीं हैं, जो छह महीने पहले थे।'

- निजी स्कूल शिक्षक, पुणे, महाराष्ट्र

नागरिक कार्रवाई परियोजना (सिविक एक्शन प्रोजेक्ट)

यह कार्रवाई-चालित कार्यप्रणाली है जो दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र के कई स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रवृत्त और सक्रिय नागरिक बनाने में कारगर रही है। विद्यार्थी अपने परिवेश से कोई नागरिक मुद्दा चुनते हैं, ख़ुद को उसके लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ लैस करते हैं ताकि वे नागरिक कार्रवाई शुरू कर सकें और समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर सकें। इस परियोजना से विद्यार्थियों को, अपने आस-पास के वास्तविक जीवन के मुद्दों को हल करने के लिए, सीखी हुई क्षमताओं को अमल में लाने का अवसर मिलता है और इस प्रकार वे ज़िम्मेदार और सक्रिय नागरिकता के पहलुओं का अभ्यास कर पाते हैं।

हमने विद्यार्थियों की नागरिक क्षमताओं पर सीएपी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया। यह देखने के लिए कि विद्यार्थियों की क्षमताओं का मूल्यांकन कैसे किया गया, हमने विद्यार्थियों के दो समूह बनाए – एक नियंत्रण समूह और दूसरा प्रायोगिक समूह। अध्ययन का उद्देश्य इस बात का आकलन करना था कि दोनों समूह अपनी कार्य योजनाएँ लिखने में अपने नागरिक ज्ञान, कौशलों और मनोवृत्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। क्या दोनों समूहों द्वारा दर्ज की गई कार्य योजनाओं के बीच कोई गुणात्मक अन्तर है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि सीएपी अभियान से गुज़रे प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों ने नियंत्रण समूह के विद्यार्थियों की तुलना में अपने नागरिक ज्ञान, कौशलों और मनोवृत्तियों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है। प्रायोगिक विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई कार्य योजनाएँ अच्छी तरह से शोध की हुई और भली-भाँति संरचित नागरिक कार्रवाई को दर्शाती हैं। इसमें कई सरल नागरिक युक्तियों को शामिल किया गया है। जैसे कि सरकारी अधिकारियों के साथ काम करते समय लिखित संवाद का उपयोग करना। इसके विपरीत नियंत्रण समूह के विद्यार्थियों की कार्य योजना में समस्याओं को हल करने की इच्छा और उपयुक्त दृष्टिकोण तो नज़र आए लेकिन अपनी नागरिक कार्रवाई को प्रमाणित करने के लिए जिस ज्ञान और कौशल की आवश्यकता थी, उसे लेकर उन्हें दिक़्क़त पेश आई।

प्रायोगिक समूह के विद्यार्थी अपनी परियोजनाओं में की गई गतिविधियों के आधार पर नागरिक कार्रवाई योजना लिखने में सक्षम हुए। वे किसी परिकल्पित समस्या को, पाठ्यक्रम सम्बन्धी अवधारणाओं, जैसे कि मौलिक अधिकारों और उस समस्या से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों, से भी जोड़ पाए। कार्य योजना से यह स्पष्ट है कि सीएपी हस्तक्षेप के बाद प्रायोगिक समूह के विद्यार्थियों ने नागरिक क्षमताओं में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हासिल की। दूसरी ओर, नियंत्रण समूह के विद्यार्थी को ऐसे आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करने की ज़रूरत थी जिनके द्वारा वे किसी समस्या को हल करने की अपनी इच्छा को प्रभावी नागरिक कार्रवाई में बदल सकें।

'इस समस्या को हल करने के लिए, हम पहले संविधान में इससे सम्बन्धित अधिकार को देखेंगे और फिर उन अधिकारों के लिए बनाए गए क़ानूनों का पता लगाएँगे। हम नगर निगम के कार्यालय में जाएँगे, शिकायत दर्ज कराएँगे और देखेंगे कि क्या वे उसे नोट करते हैं या नहीं। अगर वे हमारी शिकायत को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम, स्कूल के सभी विद्यार्थी, पैसा इकट्ठा करेंगे और पानी की निकासी का काम पूरा करेंगे।'

- एक अध्ययन में विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ

लाभ और परिणाम

हमारे अनुभवों और प्रभाव के आकलन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अच्छी तरह से नियोजित सीएपी डिज़ाइन किसी स्कूली व्यवस्था में अत्यधिक व्यवहार्य है। सीएपी के व्यावहारिक अनुभव एसपीएल पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बढ़िया साधन हैं। इसकी सहायता से वे विद्यार्थियों के सीखने को अधिक व्यावहारिक और कौशल-आधारित बना पाते हैं।

माजलगाँव के विद्यार्थियों ने स्ट्रीटलाइटें लगवाईं

ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान, महात्मा फुले विद्यालय, माजलगाँव, ज़िला बीड, महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल परिसर के पास स्ट्रीटलाइट लगवाने का मुद्दा चुना। उन्होंने इसके लिए अच्छी तरह से शोध करके दस्तावेज़ तैयार किए और लाइट लगवाने के लिए स्थान भी चुना। इन सबको उन्होंने अपने आवेदन पत्र के साथ नत्थी किया और उसे ले जाकर माजलगाँव नगरपालिका परिषद को दिया। लगातार प्रयासरत रहने और अधिकारियों के साथ विद्यार्थियों की बैठक के बाद स्कूल परिसर के पास स्ट्रीटलाइट लग गई।

स्कूल की चारदीवारी बनवाने के लिए विद्यार्थियों ने आरटीई का उपयोग किया

महात्मा फुले माध्यमिक आश्रमशाला, ज़िला सतारा, महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के चारों ओर एक चारदीवारी बनवाने के लिए कटगुन की ग्राम पंचायत को एक आवेदन दिया। यह स्कूल परिसर पंचायत का था और जिसे स्कूल द्वारा पट्टे पर इस्तेमाल किया जा रहा था। विद्यार्थियों ने आवेदन के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की प्रतिलिपि को संलग्न किया जिसमें प्रत्येक स्कूल परिसर के लिए चारदीवारी को अनिवार्य किया गया है।

आवेदन पत्र जनवरी के महीने में दिया गया था। विद्यार्थी कुछ महीनों तक उसके बारे में पता भी करते रहे। अन्ततः ग्राम पंचायत ने बजट से 1,21,000/- रुपए का उपयोग किया और स्कूल को अपनी बहुप्रतीक्षित चारदीवारी मिल गई।

संवैधानिक मूल्यों पर अभियान

इस कार्य के लिए एक अत्यन्त सरल लेकिन अति महत्त्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता है, और वह है : अपने जीवन के अनुभव, यहाँ तक कि युवा नागरिकों के अनुभव भी। पिछले कुछ वर्षों से, हम शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली के तहत मेंटर शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं। हमने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और उनके सभी विषयों के शिक्षकों के साथ मिलकर द *कॉन्स्टीट्यूशन एट 70* (संविधान के 70 बरस) पर काम किया है जो संवैधानिक मूल्यों पर चलाया गया एक छोटा अभियान है।

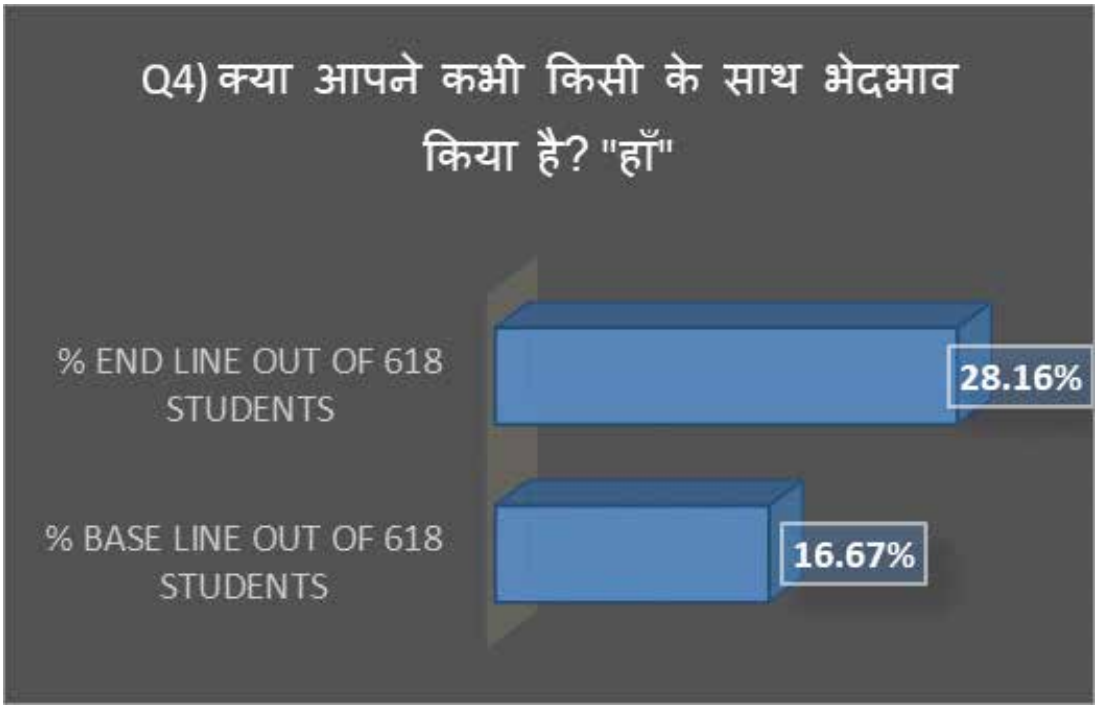

अभियान के प्रभाव आकलन से उदाहरण

इस अभियान के प्रभाव का अध्ययन ऐसे विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह के माध्यम से किया गया जिनके साथ हम लगातार जुड़े हुए थे। हालाँकि, विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थी अलग-अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उनके विचार एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु से सम्बन्धित थे – हमारे संविधान की प्रस्तावना। इस अभियान में उन्हें अपने आस-पास के लोगों के समान समूहों के साथ बातचीत करनी थी – जैसे सभी को अपने परिवार के सदस्यों और अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करनी थी। चूँकि, लोगों के ये समूह सभी के लिए समान थे, इसलिए उन सभी को इस बात को समझने में मदद मिली कि लोगों के लिए इन मूल्यों के क्या मायने हैं और वे दैनिक आधार पर इन मूल्यों के साथ कैसे जुड़ते थे।

युवा नागरिकों के बीच इस चेतना को स्थापित करने व मूल्यों का एक नज़रिया विकसित करने के प्रयास ने हमें यह दिशा दी कि हम उनके साथ संविधान की प्रस्तावना पर काम करना जारी रखें। इसके अलावा, हमने यह सुनिश्चित किया कि सभी विषयों के शिक्षक अभियान में शामिल हों जिससे कि शिक्षकों को भी संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ने का एक रास्ता मिल सके। ऐसा लगता था कि विषय के साथ जीवन्त अनुभवों को जोड़ने से शिक्षकों और विद्यार्थियों में *प्रस्तावना का सार* सीखने की दिलचस्पी जाग उठी हो।

इस अभियान के कारण विद्यार्थियों के मन से लैंगिक मानदण्डों और जाति-आधारित भेदभाव से सम्बन्धित कई रूढ़ियाँ दूर हुईं। इससे पहले कुछ विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थियों से बात नहीं करते थे जो उनकी आर्थिक स्थिति के बराबर न हों, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं।

- गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली के शिक्षक

निष्कर्ष

दुनियाभर में जो अध्ययन हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि नागरिक शिक्षा प्रदान करना अवरोध मुक्त नहीं है। भारतीय सन्दर्भ में, सबसे बड़ी चुनौती रही है कि एक विषय के रूप में नागरिकशास्त्र को रटने वाले तरीक़ों से दूर करके सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया कैसे बनाया जाए। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए, *वी, द पीपल अभियान,* स्कूलों के साथ मिलकर काम करता है ताकि नागरिकशास्त्र सीखने के तरीक़ों का संवर्धन इस तरह से किया जाए कि जिससे यह विषय रोचक, व्यावहारिक और हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक बन जाए। लेकिन, इसकी सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि शिक्षकों की क्षमता का निर्माण किया जाए और उनके अन्दर प्रयोग करने की इच्छा हो।

References

For the study in Maharashtra schools, NCERT's 'Journal of Indian Education' (Volume XLV, Number 2, August 2019) https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/journalofindianeducation/JIE_AUGUST2019.pdf

Film: https://youtu.be/u6EB6lNiJ3M

नेहा यादव वी, द पीपल अभियान में पार्टनरशिप्स की प्रोग्राम लीड हैं। उनका यह जुनून है कि वे लोगों को अपने अधिकारों को बनाए रखने में, और उनके रोज़मर्रा के जीवन में संवैधानिक मूल्यों का उपयोग एक लेंस के रूप करने में सक्षम कर सकें। उनका मुख्य लक्ष्य है कि नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका को समझने के लिए लोगों की क्षमताओं का निर्माण किया जाए और इसके लिए वे भागीदारी केन्द्रित कार्यक्रमों का रणनीतिकरण, डिज़ाइनिंग और कार्यान्वयन करती हैं। नेहा ने क्लेम्सन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने स्कूल ऑफ़ इंस्पायर्ड लीडरशिप से एमबीए किया है। उनसे nyadav.ba@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अस्मिता तिवारी *वी, द पीपल अभियान* में प्रोग्राम मैनेजर, कंटेंट हैं। अस्मिता पिछले तीन वर्षों से विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। *वी, द पीपल* अभियान में वे मुख्य रूप से विविध तरह के दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए प्रासंगिक, चिन्तनशील और दिलचस्प सामग्री विकसित करने के साथ ही उसके प्रभाव का अध्ययन करती हैं। उनसे asmyta.tiwari@wethepeople.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल